

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 23)

[9 अगस्त, 2017]

सूचना प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान का विकास करने की दृष्टि से और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में वैश्विक मानकों की जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के अधीन स्थापित कतिपय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं से या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्ता की संस्थाएं घोषित किया जाना—अनुसूची में वर्णित संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित संस्था की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है;

(ख) किसी संस्थान के सम्बन्ध में “बोर्ड” से धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष” से धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “समन्वय मंच” से धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मंच अभिप्रेत है;

(ङ) “निदेशक” से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(च) “विद्यमान संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित संस्थान अभिप्रेत हैं;

(छ) “उद्योग भागीदार” से कोई व्यक्ति या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन स्थापित कोई न्यास या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन स्थापित कोई कम्पनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या कोई वित्तीय संस्था या ऐसे औद्योगिक भागीदारों का एक या अधिक संयोजन अभिप्रेत है;

(ज) “संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित कोई संस्था और धारा 11 के अधीन स्थापित ऐसे अन्य संस्थान अभिप्रेत हैं;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा;

(ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) “पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी” से केन्द्रीय सरकार की स्कीम, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और भागीदारों के बीच सहयोग को अन्तर्वलित करते हुए संस्थान की स्थापना का उपबन्ध करती है, के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेत है;

(ठ) “अनुसूची” से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) किसी संस्थान के सम्बन्ध में “सिनेट” से उसकी सिनेट अभिप्रेत है;

(ढ) किसी संस्थान के सम्बन्ध में “परिनियमों” और “अध्यादेशों” से अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

संस्थान

4. संस्थानों का निगमन—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तम्भ (5) में यथावर्णित उसी नाम से एक निगमित निकाय होगा।

(2) नियत दिन से ही ऐसा कोई अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो धारा 11 के अधीन स्थापित किया जाए, ऐसे नाम से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्रत्येक विद्यमान संस्थान या उपधारा (2) के अधीन स्थापित किसी संस्थान का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दोनों, जंगम और स्थावर सम्पत्ति को धारण करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

5. संस्थानों के निगमन का प्रभाव—इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान संस्थान के प्रति निर्देश को स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) प्रत्येक विद्यमान संस्थान की सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान में निहित होगी;

(ग) प्रत्येक विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार, ऋण और अन्य दायित्व अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान में उसी पारिश्रमिक और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य विषयों के लिए उसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस पर वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व धारण करता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और वह ऐसा करना जब तक जारी रखेगा जब तक कि उसके नियोजन को समाप्त न कर दिया जाए या तब तक जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक्तः परिवर्तित न कर दिया जाए;

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन, ऐसे कर्मचारी को स्वीकार नहीं है तो उसका नियोजन, संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबन्ध नहीं किया गया है तो उसको स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संस्थान द्वारा संदाय करके उसके नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी भी विद्यमान संस्थान के निदेशक, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी निर्देश का, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हो, अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान के निदेशक, रजिस्ट्रार और अधिकारी के प्रति निर्देश है;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रत्येक विद्यमान संस्थान में किसी विद्या या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान में, ऐसे संस्थान से, जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रवास किया है, पाठ्यक्रम के समान स्तर पर, प्रवासित और रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा:

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित किए जा सकते थे, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित रह सकेंगी।

6. संस्थान के उद्देश्य—प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:—

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख संस्थाओं में से उभर कर आना;

(ख) वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में नए ज्ञान और नवप्रवर्तन में अभिवृद्धि करना;

(ग) देश की ज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अभिविन्यास के साथ नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से ओत-प्रोत, सक्षम और योग्य युवाओं का विकास करना;

(घ) प्रवेश, विभिन्न पदों पर नियुक्ति, शैक्षणिक मूल्यांकन, प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित विषयों में उच्चतम श्रेणी की पारदर्शिता का संवर्धन करना और उपलब्ध कराना।

7. संस्थान की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) शिक्षा में अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों और उससे सहबद्ध ऐसे क्षेत्रों में, जो संस्थान ठीक समझे, शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और नवीकरण का, ऐसी रीति से, जो संस्थान ठीक समझे, मार्गदर्शन करना, उनका आयोजन और संचालन करना, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य संस्थान, शिक्षण संस्था, अनुसंधान संगठन, निगमित निकाय या वित्तीय संगठन के साथ राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर सहयोग या सहयोजन भी है;

(ग) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना और मानद डिग्रियां प्रदान करना;

(घ) संस्थान के निदेशक पद से भिन्न संस्थान के अधीन शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी, अनुसचिवीय और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों की, जो किसी अन्य संस्थान या शिक्षण संस्था में कार्यरत हैं या किसी उद्योग में संस्थान के अनुबद्ध, अतिथि या अभ्यागत संकाय सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण अनुसंधान में लगे हुए हैं, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जो संस्थान द्वारा विनिश्चित की जाए, नियुक्ति करना;

(च) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर ऐसे मानदंड, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं, के अनुसार नियुक्तियां करना;

(छ) अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जिनमें ऐसे अन्य संस्थानों, उद्योग, सिविल सोसाइटी या अन्य संगठनों के साथ परामर्श और सलाहकारी सेवाएं भी सम्मिलित हैं, जो संस्थान आवश्यक समझे;

(ज) वेबसाइट सृजित करना, ऐसी सूचना पर बल देना, जो छात्रों, प्रवेश, फीस, प्रशासनिक ढांचा, नीतियां, जिसके अन्तर्गत भर्ती नियम, संकाय और गैर संकाय पद, वार्षिक रिपोर्ट तथा संस्थान के लेखा विवरण सहित वित्तीय ब्यौरे भी हैं;

(झ) छात्रों और अन्य व्यक्तियों, संस्था या निगमित निकाय से शिक्षण तथा अन्य सेवाओं के लिए, जिनमें संस्थान द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं सम्मिलित हैं, ऐसी फीस, प्रभार, जो संस्थान ठीक समझे अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा संदाय प्राप्त करना;

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का ऐसी रीति से व्यवहार करना, जो संस्थान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि करने के लिए ठीक समझे;

परन्तु संस्थान द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का व्ययन नहीं किया जाएगा;

(ट) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, संदानकर्ताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर सम्पत्तियों की वसीयत, संदान या अंतरण प्राप्त करना;

(ठ) विश्व के किसी भाग में संस्थान के पूर्णतः या भागतः समान उद्देश्य रखने वाली शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और साधारणतः ऐसी रीति में सहयोग करना, जो सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक हों;

(ड) ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसको बनाए रखना, जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायतावृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना; और

(ण) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित कार्य कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उस खण्ड या क्षेत्र में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों की सहायता और सहयोग जो तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) उसके क्षेत्र में सम्मिलित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सूचना प्रौद्योगिकी के मामलों में और संस्थान को परामर्श के लिए निर्दिष्ट अन्य प्रौद्योगिकीय मुद्दों पर परामर्श देना ।

8. संस्थानों का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना—(1) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वंश, दिव्यांगता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों ।

(2) किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा जो समन्वयन मंच की राय में ऐसी शर्तों या बाध्यताओं को अन्तर्वलित करता है जो इस धारा के भाव और उद्देश्य के प्रतिकूल हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व उसके प्रोस्पेक्ट्स के माध्यम से प्रकट पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा:

परन्तु प्रत्येक ऐसा संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का 5) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थान होगा ।

9. संस्थान में शिक्षण—प्रत्येक संस्थान में सभी प्रकार के शिक्षण, इस निमित्त बनाए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान के नाम से संचालित किए जाएंगे ।

10. संस्थान का सुभिन्न गैर-लाभकारी विधिक अस्तित्व होना—(1) प्रत्येक संस्थान एक गैर-लाभकारी विधिक अस्तित्व होगा और ऐसे संस्थान में इस अधिनियम के अधीन उसके प्रचालनों के सम्बन्ध में सभी व्ययों की पूर्ति के पश्चात् राजस्व के अधिशेष का भाग, यदि कोई है, ऐसे संस्थान की वृद्धि और विकास से या उसमें अनुसंधान संचालित करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान, आत्मनिर्भरता, धारणीयता और संस्थान के भावी विकास के लिए एक स्थोरा के सृजन के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

11. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा संस्थान की स्थापना—(1) राज्य सरकार कम से कम एक उद्योग भागीदार और अधिमानतः तीन उद्योग भागीदारों की, सहयोग के लिए पहचान करेगी और केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसा मानदंड, जो विहित किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, के आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगी, अर्थात्—

(क) प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी विनिधान को केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा 50:35:15 के अनुपात में वहन किया जाएगा और आवर्ती व्यय, जो प्रचालन के पहले पांच वर्ष के दौरान आवश्यक माना जाए, को केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा:

परन्तु पूर्वोक्त राज्य में प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी विनिधान का अनुपात 57.5:35:7.5 होगा;

(ख) उपधारा (1) में प्रस्तावित उद्योग भागीदारों की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव;

(ग) संस्थान की सहायता के लिए उद्योग भागीदारों की क्षमता, वित्तीय और अन्य संसाधनों का निर्धारण;

(घ) पर्याप्त भूमि की उपयुक्तता, जो पचास से सौ एकड़ तक होगी, को राज्य सरकार द्वारा बिना किसी लागत के उपलब्ध कराया जाएगा;

(ङ) प्रस्तावित स्थल पर पर्याप्त भौतिक संरचना की उपलब्धता या राज्य सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता अर्थात् जल, विद्युत सड़क सम्पर्कता और सुरक्षा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव में उपांतरणों का, यदि कोई हों, सुझाव दे सकेगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को स्वीकार नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार को अपने विनिश्चय की ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए संसूचना देगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार उपांतरणों, यदि कोई हों, के साथ उपधारा (3) के अधीन प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों के साथ एक समझौता ज्ञापन या करार करेगी ।

(6) उद्योग भागीदार—

(क) समग्र फ्रेमवर्क के भीतर संस्थान के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेना;

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ या तो वित्तपोषण, सहयोग या किसी अन्य रीति में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करेगा और सुकर बनाएगा;

(ग) अनुबद्ध संकाय के रूप में अनुभवी व्यष्टियों को तैनात करेगा;

(घ) विद्यार्थियों को उनके अध्ययन पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अपने उद्यम के भीतर अनुसंधान परियोजना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, समर्थ बनाएगा, सहायता करेगा और मार्गनिर्देश देगा;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय सदस्यों को विश्राम काल पर उद्योग के साथ लघु अवधि के लिए कार्य करने के लिए स्वीकार करेगा;

(च) संस्थान के साथ उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का सह-सृजन करेगा;

(छ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटरनशिप उपलब्ध कराएगा;

(ज) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों के नियोजन को सुकर बनाएगा;

(झ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में डाक्टरेट अध्ययनों के लिए उनके पात्र कर्मचारियों को प्रायोजित करेगा; और

(ञ) संस्थान के स्टार्टअप का वित्तपोषण और मार्गदर्शन करेगा।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक समझौता ज्ञापन या करार में—

(क) संस्थान की स्थापना के लिए पूंजी का प्रस्तावित विनिधान और सम्बन्धित शेयर, जैसा कि विहित किया जाए अन्तर्विष्ट होंगे;

(ख) संस्थान का पहला परिनियम अन्तर्विष्ट होगा;

(ग) प्रस्तावित संस्थान की स्वायत्तता का सुनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार और उद्योग भागीदार की प्रतिबद्धता अन्तर्विष्ट होगी; और

(घ) शर्तें, यदि उद्योग भागीदार अलग होते हैं, अन्तर्विष्ट होंगी।

अध्याय 3

पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्राधिकरण

12. कुलाध्यक्ष—(1) भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, किसी संस्थान के कामकाज और प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए और उनके कार्यों की जांच करने और उन पर ऐसी रीति में रिपोर्ट देने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित मामलों में से किसी के सम्बन्ध में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का युक्तियुक्त समय के भीतर पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

13. संस्थान के प्राधिकरण—संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख) शासक बोर्ड;

(ग) सिनेट;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिनको परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना, घोषित किया जाए।

14. शासक बोर्ड—(1) प्रत्येक संस्थान का शासक बोर्ड, संस्थान का प्रधान नीति निर्माण और कार्यकारी निकाय होगा।

(2) प्रत्येक संस्थान के शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा किसी विख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार, प्रत्येक का एक नामनिर्देशिती;

(ग) तीन विख्यात व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिनकी बोर्ड द्वारा उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सिविल सोसाइटी के प्रत्येक प्रवर्ग में से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी;

(घ) बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने दो विख्यात शिक्षाविद्;

(ङ) प्रत्येक उद्योग भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नामनिर्देशिती;

परन्तु यदि दो से अधिक उद्योग भागीदार हैं तो किसी भी समय उद्योग भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या दो तक सीमित होगी, जिनका चयन उनमें से प्रत्येक दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम में किया जाएगा;

(च) क्षेत्र में अवस्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक, जिसको बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) संस्थान के संकाय से दो सदस्य, अधिमानतः एक आचार्य और एक सहबद्ध/सहायक आचार्य, जिनको सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) यदि पूर्वोक्त में से कोई भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से नहीं है तो, शिक्षा या उद्योग या सामाजिक सेवा या लोक सेवा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से एक विख्यात व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(झ) संस्थान का निदेशक, पदेन ।

(3) सम्बन्धित संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड का पदेन गैर-सदस्य सचिव होगा ।

(4) प्रथम शासक बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (च) और खण्ड (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न नामनिर्देशन अभिप्राप्त करके अधिसूचित किया जाएगा, जिसका शासक बोर्ड की पहली बैठक में विनिश्चय किया जाएगा ।

15. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते—(1) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह सदस्य है, धारण करता है ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न, बोर्ड का कोई सदस्य, जो अनुपस्थिति छुट्टी के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(4) बोर्ड के एक-तिहाई सदस्य बोर्ड की गणपूर्ति करेंगे, परन्तु ऐसा तब, जब उनमें से कम से कम तीन सदस्य उन सदस्यों में से हों, जो धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), खण्ड (छ) और खण्ड (झ) से भिन्न खंडों में निर्दिष्ट सदस्य हैं ।

(5) बोर्ड के सदस्य, बोर्ड की या जो संस्थान द्वारा आयोजित की जाएं, बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

16. अध्यक्ष का त्यागपत्र—(1) अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) सिवाय पदेन सदस्यों के, बोर्ड का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

17. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड साधारण नीति निर्माण, अधीक्षण और निदेशन के लिए उत्तरदायी होगा और उसको धारा 6 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान के कार्यकलापों को शासित करने वाले परिनियमों या अध्यादेशों को विरचित करने, संशोधित करने, उपांतरित करने या विखण्डित करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) संस्थान से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों का विनिश्चय करना;

(ख) संस्थान में विभागों, संकायों या अध्ययन विद्यापीठों की स्थापना करना और कार्यक्रमों या अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना;

(ग) ऐसे संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा और अनुमोदन करना;

(घ) संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा और अनुमोदन करना और योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों की पहचान करना;

(ङ) शिक्षण, शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों को सृजित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(च) संस्थान में शैक्षिक और अन्य पदों पर नियुक्ति की अर्हताएं, मानदंड और प्रक्रियाएं परिनियमों द्वारा उपबन्धित करना;

(छ) संस्थान में अध्ययन, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए संदेय फीसों और अन्य प्रभारों का अनुमोदन करना;

(ज) ऐसे संस्थान के प्रशासन, प्रबन्धन और प्रचालनों को शासित करने के लिए धारा 32 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम बनाना;

(झ) डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना; और

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए सिनेट या निदेशक को ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो बोर्ड ठीक समझे।

(4) बोर्ड, संस्थान को पांच वर्ष की अवधि के भीतर आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतियां बनाएगा।

(5) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में निदेशक के नेतृत्व के विनिर्दिष्ट संदर्भ में उसके कार्यों का आवधिक पुनर्विलोकन करेगा।

(6) बोर्ड अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, यथास्थिति, सिनेट और संकाय के विभागों या विद्यापीठों का शैक्षिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।

(7) जहां निदेशक या अध्यक्ष की राय में स्थिति इस प्रकार आपातिक है कि संस्थान के हित में तत्काल विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से उसकी राय के लिए कारण को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो आवश्यक हों:

परन्तु ऐसे आदेश बोर्ड की आगामी बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे।

18. सिनेट—(1) प्रत्येक संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) संस्थान का निदेशक, जो सिनेट का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) सभी संकायाध्यक्ष, पदेन;

(ग) यथास्थिति, संस्थान के सभी विभागों, संकायों या विद्यापीठों के अध्यक्ष, पदेन;

(घ) संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी पूर्णकालिक आचार्य;

(ङ) ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों या संस्थान के क्रियाकलापों से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं, जो कि शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(च) ऐसे तीन व्यक्ति जो शैक्षिक कर्मचारिवृंद के सदस्य नहीं हैं जिन्हें उनके विशेषीकृत ज्ञान के लिए सिनेट द्वारा सहयोजित किया जाए;

(छ) संस्थान का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।

(2) खण्ड (ङ) और खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष होगी।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह सदस्य है, धारण करता है।

19. सिनेट की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सिनेट संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और उसको शैक्षणिक विषयों तथा संस्थान के छात्रों के कार्यकलापों और कल्याण को शासित करने वाले अध्यादेशों को अधिनियमित, संशोधित या उपांतरित करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सिनेट के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्ययन के पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का अवधारण करना और अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना;

(ग) नए कार्यक्रमों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना;

(घ) कार्यक्रमों और अध्ययन के पाठ्यक्रमों की विस्तृत शैक्षणिक अन्तर्वस्तु को विनिर्दिष्ट करना और उसमें उपांतरणों का जिम्मा लेना;

(ड) शैक्षणिक कलैन्डर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षणिक उपाधियों या पदवियों को दिए जाने का अनुमोदन करना;

(च) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, अनुसूचकों, सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों को नियुक्त करना;

(छ) विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थानों के डिप्लोमाओं और डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना और संस्थान के डिप्लोमाओं या डिग्रियों की समतुल्यता अवधारित करना;

(ज) विभागीय समन्वय के उपाय सुझाना;

(झ) शासक बोर्ड को निम्नलिखित पर मुख्य सिफारिशें करना—

(अ) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय;

(आ) पदों, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना और अन्य सम्बन्धित विषय;

(इ) विभागों या केन्द्रों की स्थापना या उत्सादन; और

(ई) संस्थान के शैक्षणिक कृत्य, अनुशासन, निवास, प्रवेश, परीक्षाएं, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कवृत्तियों, छांटों के दिए जाने, उपस्थिति और अन्य सम्बन्धित विषय;

(अ) ऐसे विनिर्दिष्ट विषयों पर, जो शासक बोर्ड द्वारा या स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए उप समितियां नियुक्त करना;

(ट) उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई करना, जो अपेक्षित हों, जिसके अन्तर्गत शासक बोर्ड को सिफारिश करना भी है;

(ठ) विभागों और केन्द्रों के क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई करना, जिसके अन्तर्गत संस्थान में शिक्षण के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के दृष्टिकोण से बोर्ड को सिफारिशें करना भी है; और

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसको परिनियमों द्वारा या अन्यथा बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं।

20. वित्त समिति—(1) प्रत्येक संस्थान की वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो वित्त से सम्बन्धित मामलों का संचालन करता हो, पदेन;

(ग) उस राज्य सरकार का, जिसमें संस्थान अवस्थित है, एक प्रतिनिधि, पदेन;

(घ) उद्योग भागीदारों द्वारा स्वयं में से चुना जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(ङ) निदेशक, पदेन; और

(च) संस्थान के वित्त और लेखाओं का प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

21. वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य—वित्त समिति, संस्थान के लेखाओं की परीक्षा, व्यय के लिए प्रस्तावों और वित्तीय प्राक्कलनों की संवीक्षा करेगी और उसके पश्चात् उसे अनुमोदन के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

22. अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, संस्थान के बोर्ड, वित्त समिति के अधिवेशनों और दीक्षांत समारोहों की सामान्यतः अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए।

(3) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

23. निदेशक—(1) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और वह बोर्ड और सिनेट द्वारा किए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन तथा संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) निदेशक की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(3) निदेशक की नियुक्ति, खोजबीन-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो खोजबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) विख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और प्रबन्ध विशेषज्ञों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य;

(ग) उस राज्य की सरकार का नामनिर्देशिती, जिसमें संस्थान अवस्थित है;

(घ) चक्रानुक्रम में किसी एक उद्योग भागीदार का नामनिर्देशिती;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से सम्बन्धित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ब्यूरो प्रमुख—सदस्य सचिव, पदेन।

(4) निदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसको सौंपे जाएं अथवा बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(5) निदेशक, सिवाय पद त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

(6) निदेशक, अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(7) कुलाध्यक्ष, निदेशक को पद से हटा सकेगा, जो—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें कुलाध्यक्ष की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है:

परन्तु निदेशक को बोर्ड द्वारा सिवाय ऐसी जांच, जिसमें निदेशक को आरोपों से सूचित कर दिया गया हो तथा उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया हो, संस्थित करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष के आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा।

(8) बोर्ड, निदेशक के पद पर किसी रिक्ति के सम्बन्ध में उसकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व ऐसी रिक्ति के उद्भूत होने की तारीख से छह मास पूर्व नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरम्भ करेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया को ऐसी रिक्ति उद्भूत होने से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

(9) जब निदेशक का पद पदावधि पूरी होने से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो बोर्ड द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को ऐसी रिक्ति होने के एक मास के भीतर प्रारम्भ किया जाएगा तथा प्रक्रिया को यथासंभवशीघ्र पूरा किया जाएगा।

24. रजिस्ट्रार—(1) प्रत्येक संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(2) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(3) रजिस्ट्रार अपने कृत्यों के उपयुक्त निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

25. संस्थान के कार्यपालन का पुनर्विलोकन—(1) संस्थान, उसकी स्थापना और इस अधिनियम के अधीन उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर, उक्त अवधि के दौरान उसके उद्देश्यों की बाबत संस्थान के कार्यपालन और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा या तृतीय पक्षकार के रूप में एक अभिकरण की नियुक्ति करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति में शिक्षा या उद्योग से, ऐसे संस्थान में अध्यापन, पठन और अनुसंधान के सुसंगत क्षेत्रों से ख्यातिप्राप्त सदस्य सम्मिलित होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तृतीय पक्षकार अभिकरण के पास ऐसे मूल्यांकनों का संचालन करने का पूर्व अनुभव होगा।

(4) यथास्थिति, पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण संस्थान के कार्यपालन का निर्धारण करेगा और निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा—

(क) अध्यापन, पठन और अनुसंधान की स्थिति द्वारा यथाप्रदर्शित धारा 6 में उल्लिखित संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति का विस्तार और समाज के प्रति उसका योगदान;

(ख) रूपांतरणीय अनुसंधान का संवर्धन और उद्योग तथा समाज पर उसका प्रभाव;

(ग) ज्ञान की विद्यमान सीमाओं से परे मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से नेतृत्व करने वाले संस्थानों के बीच संस्थान की स्थापना;

(ङ) ऐसे अन्य पैरामीटर, जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे और विनिर्दिष्ट करे।

(5) बोर्ड, पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा तथा उसे अपनी वेबसाइट पर रखेगा और उपधारा (3) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर विचार करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा, जिसे वह उचित समझे:

परन्तु पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण की सिफारिशों को, की गई कार्रवाई या करने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई सम्बन्धी स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

26. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुदान—(1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को उनके कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, इस निमित्त, यथास्थिति, संसद् और सम्बद्ध राज्य विधान-मंडल की विधियों द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की ऐसी राशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेंगी, जो अधिनियम की धारा 11 के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकार, प्रत्येक संस्थान को धन की ऐसी राशियों का अनुदान कर सकेंगी जो इसके द्वारा स्थापित छात्रवृत्तियों या अध्येतावृत्तियों के, जिसमें ऐसे संस्थान में प्रविष्ट नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां या अध्येतावृत्तियां सम्मिलित हैं, सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं।

27. संस्थान की निधि—(1) प्रत्येक संस्थान एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी धन;

(ख) संस्थान द्वारा छात्रों से प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति वसीयत या अंतरण के रूप में प्राप्त सभी धन;

(घ) संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान या इसके द्वारा सलाहकारी या परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने से उद्भूत बौद्धिक संपदा के उपयोग से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन; और

(ङ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और इसके कर्तव्यों के निर्वहन में, संस्थान में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं अथवा उद्योगों के साथ सहयोग करने में और संस्थान की वृद्धि और विकास के उद्देश्य से किए गए पूंजी विनिधान में उपगत व्यय सम्मिलित हैं।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा किए गए समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसा कि संस्थान द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाए।

(4) प्रत्येक संस्थान, संस्थान की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए एक समग्र निधि का सृजन करेगा, जिसमें संस्थान की शुद्ध आय के ऐसे प्रतिशत और ऐसी समग्र निधि के मद्दे विनिर्दिष्ट रूप से किए गए संदानों के ऐसे प्रतिशत को, जिसे केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचित करे, जमा किया जाएगा:

परन्तु बोर्ड विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विन्यास निधियों का भी सृजन कर सकेगा, जिनमें विनिर्दिष्ट रूप से संदान किए जा सकेंगे।

28. लेखा और संपरीक्षा—(1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्ररूप में और ऐसे लेखा मानक के अनुसार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तैयार किया जाने वाला तुलनपत्र भी है।

(2) जहां संस्थान की आय और व्यय का विवरण तथा तुलनपत्र लेखा मानकों के अनुरूप नहीं हैं, वहां संस्थान अपने आय और व्यय के विवरण तथा तुलनपत्र में निम्नलिखित को प्रकट करेगा, अर्थात्:—

(क) लेखा मानकों से विचलन;

(ख) ऐसे विचलन के लिए कारण; और

(ग) ऐसे विचलन के कारण उद्भूत होने वाले वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों।

(3) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या विद्यमान नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत किसी व्यय का संदाय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या किसी संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास शासकीय लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और उसके पास विशिष्ट रूप से लेखा बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

29. पेंशन और भविष्य निधि—प्रत्येक संस्थान, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन कर सकेगा या ऐसी कोई बीमा स्कीम उपलब्ध करा सकेगा, जिसे वह उचित समझे तथा ऐसा उस रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

30. नियुक्तियां—प्रत्येक संस्थान के निदेशक के सिवाय कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

31. परिनियम—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) शिक्षण विभागों का बनाया जाना;

(ख) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायतावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का प्रारम्भ किया जाना;

(ग) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति;

(घ) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं;

(ङ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए समय-समय पर विद्यमान उपबन्धों के अनुसार पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना;

(छ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) छात्र-निवासों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(झ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण;

(ञ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ट) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन;

(ठ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जो संस्थान के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझा जाए।

32. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे—(1) प्रत्येक संस्थान का प्रथम परिनियम कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा विरचित किया जाएगा।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नए और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों में संशोधन या उनका निरसन कर सकेगा।

33. अध्यादेश— इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों के अध्यक्षीन, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और उसकी परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायतावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

34. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे—(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो सिनेट निदेश दे, परंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर बोर्ड द्वारा उसके अगले अधिवेशन में विचार किया जाएगा।

(3) बोर्ड को किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से, तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा।

35. माध्यस्थम् अधिकरण—(1) (क) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच हुई संविदा से उद्भूत होने वाले किसी विवाद को, संबद्ध कर्मचारी या संस्थान के आग्रह पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारिवृन्द द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होंगे।

(ख) अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसे उपधारा (1) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं लाई जाएगी।

(घ) माध्यस्थम् अधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी:

परन्तु अधिकरण ऐसी प्रक्रिया बनाते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।

(ङ) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।

(2) कोई छात्र या परीक्षा का ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके नाम को संस्थान के निदेशक के आदेशों या संकल्प के द्वारा संस्थान की नामावलियों से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संस्थान की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड, निदेशक के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा, उसमें उपांतरण कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(3) संस्थान द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाले किसी विवाद को, ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस उपधारा के अधीन किए गए किसी निर्देश को यथासाध्य रूप से उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र के पास, यथास्थिति, संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी विनिश्चय के विरुद्ध शासी बोर्ड को, परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाने वाले समय के भीतर अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त बोर्ड उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें उपांतरण कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

36. निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे गए लेखाओं के प्रत्येक विवरण के साथ निम्नलिखित से संबंधित उसके निदेशक की रिपोर्ट संलग्न होगी—

(क) ऐसे संस्थान के कार्यकलापों की स्थिति;

(ख) ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसका उसने अपने तुलनपत्र में अधिशेष आरक्षितियों को अग्रणीत किए जाने का प्रस्ताव किया है;

(ग) वह सीमा, जिस तक व्यय पर आय के किसी अधिशेष या आय पर व्यय की किसी कमी की न्यूनोक्ति या अत्योक्ति को संपरीक्षक की रिपोर्ट में उपदर्शित किया गया है और ऐसी न्यूनोक्ति या अत्योक्ति के कारण;

(घ) संस्थान द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता, जिन्हें ऐसे प्रमाप के अनुसार मापा गया है, जो किसी कानूनी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्तियां;

(च) संस्थान द्वारा निश्चित संदर्भिका और आंतरिक मानक, जिनके अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रयोग में नवप्रवर्तनों की प्रकृति भी हैं।

(2) निदेशक अपनी रिपोर्ट में, संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रत्येक निग्रह, अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य होगा।

37. प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ, संस्थान द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उपाय और ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान के मूल्यांकन आधारित परिणाम भी होंगे और उसे बोर्ड को, ऐसी तारीख को, जो विनिर्दिष्ट की जाए, या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और उसे संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

(3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के अवसान पर या उससे पूर्व संस्थान के पूर्ववर्ष के कार्यक्रम के संबंध में एक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार तथा जारी करेगा और उसकी एक प्रति, पूर्ववर्ष के लिए संस्थान के आय और व्यय को दर्शित करने वाले संपरीक्षित लेखा विवरणों के साथ नियत समय के भीतर केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसे संसद् के प्रत्येक सदन और संबद्ध राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

अध्याय 5

समन्वयन मंच

38. समन्वयन मंच—(1) संस्थानों के बीच बेहतर समन्वयन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना कर सकेगी, जो समन्वयन मंच के नाम से ज्ञात होगा।

(2) समन्वयन मंच में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री, जिसका तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन, अध्यक्ष के रूप में;

(ii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभाग का प्रभारी सचिव, भारत सरकार, जिसका तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

(iii) ऐसे राज्यों की, जिनमें संस्थान अवस्थित हैं, राज्य सरकारों के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की देखभाल करने वाले विभाग के प्रभारी चार सचिव, जिन्हें दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन;

(iv) संस्थानों के चार अध्यक्ष, जिन्हें दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(v) संस्थानों में से प्रत्येक का निदेशक, पदेन;

(vi) चार उद्योग भागीदार, जिनमें से किसी एक संस्थान से एक से अधिक व्यक्ति नहीं होगा और जिन्हें प्रत्येक दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(vii) शिक्षा, उद्योग या लोकसेवा के क्षेत्रों से तीन विख्यात व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिन्हें समन्वयन मंच द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि:

परंतु खंड (iii), खंड (iv) और खंड (vi) के अधीन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यथासंभव रूप से राज्य सरकारों के सचिव, संस्थानों के अध्यक्षों और उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों और यथासंभव सीमा तक भिन्न-भिन्न संस्थानों के बोर्ड के सदस्यों का चयन करके यथाशक्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

(3) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो और जो तकनीकी शिक्षा से संबंध रखता हो, समन्वयन मंच के सदस्य-सचिव, पदेन के रूप में कार्य करेगा।

(4) समन्वयन मंच, अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समन्वयन मंच की सहायता करने हेतु अपने विवेकानुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान समन्वयन मंच (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) की स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।

(5) समन्वयन मंच के व्यय की पूर्ति, इस अधिनियम द्वारा शासित सभी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों से की जाएगी।

39. समन्वयन मंच के सदस्यों की पदावधि और उन्हें संदेय भत्ते—(1) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि उस समय तक जारी रहेगी, जब तक वह सदस्य ऐसा पद धारण करता रहता है, जिसके कारण वह सदस्य बना है।

(3) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (iii), खंड (iv) और खंड (vi) के अधीन समन्वयन मंच के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय समन्वयन मंच का अध्यक्ष यथासंभव रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक संस्थान से अधिकतम संभव प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए।

(4) समन्वयन मंच के सदस्य, समन्वयन मंच के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए यात्रा और ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

40. समन्वयन मंच के कृत्य और कर्तव्य—(1) समन्वयन मंच, सभी संस्थानों के कार्यपालन में अभिवृद्धि करने के विचार से अनुभव, विचारों और चिन्ताओं के आदान-प्रदान को सुकर बनाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वयन मंच निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार को अनुसूची में किसी नई संस्था को सम्मिलित करने या किसी विद्यमान संस्था को उससे अपवर्जित करने की सलाह देना;

(ख) संस्थानों के समान हित के ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना, जो किसी संस्थान द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) संस्थानों के कार्यकरण में आवश्यक समन्वयन और सहयोग का समर्थन करना;

(घ) केन्द्रीय सरकार को, छात्रवृत्तियां संस्थित करने की सिफारिश करना, जिसके अंतर्गत अनुसंधान हेतु तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के फायदे के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु इस धारा की कोई बात प्रत्येक संस्थान के बोर्ड या सिनेट या अन्य प्राधिकारियों में विधि द्वारा निहित शक्तियों और कृत्यों को अल्पीकृत नहीं करेगी।

(3) समन्वयन मंच का अध्यक्ष सामान्यता, समन्वयन मंच के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग का प्रभारी सचिव, भारत सरकार, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(4) समन्वयन मंच वर्ष में कम से कम एक बार या जब कभी समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, अपने अधिवेशन करेगा और वह अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

41. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें राज्य सरकार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी;

(ख) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन संस्थान की स्थापना में पूंजी के विनिधान प्रस्ताव और उनके अपने-अपने शेयर;

(ग) धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन समन्वयन मंच के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते;

(घ) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन समन्वयन मंच के अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ।

42. रिक्तियों आदि से कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित समन्वयन मंच या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) इसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

43. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को विवरणियां या सूचना देना—(1) संस्थान, केन्द्रीय सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार संसद् को रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) संस्थान ऐसे राज्य की, जिसमें संस्थान अवस्थित है, सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जो वह राज्य सरकार संबद्ध राज्य विधान-मंडल को रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।

44. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति—संस्थान, ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

45. संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के उपबंध प्रत्येक संस्थान को ऐसे लागू होंगे, मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो ।

46. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के रूप में कार्य करने वाला बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पद धारण कर रहे थे, पद धारण नहीं करेंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित प्रत्येक सिनेट को तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा जब तक कि उस संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट गठित नहीं की जाती है किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट के गठन पर इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पद धारण करने वाले सिनेट के सदस्य अपना पद धारण नहीं करेंगे,

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संस्थान के नियम, उपविधियां और अध्यादेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, तत्संबंधी संस्थान को तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं;

(घ) उस दशा में, जहां ऐसे कोई नियम, उपविधियां और अध्यादेश नहीं हैं, वहां केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विद्यमान भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थानों में से संबंधित संस्थान के, उसके बोर्ड द्वारा यथा अंगीकृत परिनियम, अध्यादेश, नियम और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उस संस्थान को तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी जो विद्यमान संस्थान के अनुसूची के स्तंभ (5) के अधीन उल्लिखित तत्स्थानी संस्थान को अन्तरण के लिए आवश्यक हों ।

47. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

48. नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम, अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम, अध्यादेश नहीं बनाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएंगे, किन्तु नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धारा 4(1) देखिए]

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्यमान संस्थान का नाम	अवस्थान	इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, चित्तूर, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, चित्तूर।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, चित्तूर।
2.	असम	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी।
3.	गुजरात	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा।
4.	हरियाणा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत।
5.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना।
6.	झारखंड	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।

